PROTECT LIVELIHOOD
PROTECT RESOURCES

National Forum of Forest People
And Forest Workers
राष्ट्रीय वन जन–श्रमजीवी मंच

B-137 Dayanand Colony, Lajpat Nagar IV,
New Delhi - 110024
Ph: 011-26214538
222, Vidhayak Awas, Aishbagh Road,
Rajendra Nagar, Lucknow
Ph: 0522-2690343, 2691922
M: 09235666320
18, Ruchipura, Majra, Dehradun, Uttrakhand
Ph: 9412348071
Email : vangram@gmail.com

**दिनांक 15 दिसम्बर 2012 को उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में आयोजित वनाधिकार रैली में माननीय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश को सौंपा गया मांगपत्र**

**माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0**

महोदय हम सभी उ0प्र0 के विभिन्न वनक्षेत्रों के वनाश्रित समुदाय आदिवासी, दलित एवं अन्य परम्परागत समुदाय आज 15 दिसम्बर 2012 को लखनऊ के विधान सभा के सामने वनाधिकार कानून के इसी दिन संसद में पारित होने के अवसर पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार को वनाधिकार, महिला हिंसा के मामलों में रैली व आम सभा के माध्यम से निम्नलिखित मांगों पर ध्यान आर्कषित करना चाहते हैं –

जैसा कि आपको विदित है कि वनों में रहने वाली अनुसूचित जन जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों की बात को स्वीकार करते हुए देश की संसद ने केन्द्रीय विशिष्ट कानून ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) कानून–2006 15 दिसम्बर 2006 को पास व नियमावली बनाकर 31 दिसम्बर 2007 को लागू भी कर दिया गया है। इस विशिष्ट कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का देशभर प्रभावी तरीके से ना चलने की बात को स्वीकार करते हुए इसकी नियमावली में 6 सितम्बर 2012 को संशोधन भी किए गए, जिन्हें कि 20 सितम्बर को लागू भी कर दिया है। इस कानून के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं जैसे वनग्राम बस्तीयों को अधिकार पत्र देना व राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया आरम्भ की गई। व्यक्तिगत दावों के तहत दस हज़ार अधिकार पत्र मिलना व सामुदायिक अधिकारों के बारे में विचार करना आदि। आपकी सरकार के सत्तासीन होने के बाद इस लम्बित प्रक्रिया को आरम्भ किया जाना अतिआवश्यक है।

इसलिए हम चाहते हैं कि –

- वनाधिकार कानून को लागू करने के लिए ग्राम स्तरीय समिति का गठन नए सिरे से ग्राम, टोला स्तर पर होनी चाहिए, पंचायत स्तर पर गठित की गई समितियों को रदद किया जाए।
- वनाधिकार कानून में अन्य परम्परागत समुदाय के लिए 75 वर्ष के निवास प्रमाण का प्रावधान लगा कर वनाश्रित समुदाय को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है इससे से इलाके में जातिगत व साम्प्रदायिक तनाव फैलने की आंशका है।
- सामुदायिक वन संसाधनों को अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल का अधिकार व अपनी सहकारी समितियों व फेडरेशन आदि का गठन करके इनके माध्यम से बेचने के अधिकार की बात को कानून के संशोधन में भी स्पष्ट किया गया है लेकिन अभी तक इन संशोधनों को लागू नहीं किया गया है।
- वनविभाग अभी भी भारतीय वन अधिनियम–1927 के तहत लोगों पर झूठे मुकदमे क़ायम करके इस कानून को लागू होने से रोक रहा है जिससे एक बार फिर ऐतिहासिक अन्यायों की पुर्नावृति हो रही है। इन सारे मुकदमों को वापिस लिया जाए।
- वनाधिकार कानून अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुआ है वहीं वनविभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जापान की जाईका कम्पनी के माध्यम से वनीकरण की योजना वनक्षेत्र में लागू कर वनाधिकार कानून को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना को रदद किया जाए।
- संवेदनशील जनपद सोनभद्र में ग्राम जोरुखाड़, सोनगर में जाईका कम्पनी ने वनविभाग व स्थानीय दबंगों की मदद से सैंकड़ों आदिवासीयों के घरों को पिछले वर्ष गिरा दिया है जबकि इनके दावे अभी भी लम्बित है। दोषीयों पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। सोनभद्र में कानून को लागू करने वाले जिलाधिकारी की नियुक्ति पिछले चार महीने से न होने के कारण अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है और वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं है।
- चन्दौली में भरदुआ में गत माह जाईका व वनविभाग द्वारा जुलाई माह में बुलडोजर से आदिवासीयों के घरों को गिराया गया और यह कोशिश लगातार ज़ारी है। अभी तक यहां भी दोषीयों को सज़ा नहीं दी गई है।
- खीरी दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र की बनकटी रेंज में गत 20 जनवरी 2012 को लघुवनोपज जलौनी लकड़ी लाने पर वनविभाग व पुलिस द्वारा यहां की थारु जनजाति की महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया। दोषी अधिकारीयों

थाना प्रभारी शुभसुचित राम व वार्डन ईश्वर दयाल पर एफआईआर दर्ज होने की बावजूद भी गिरफ्तरी नहीं की गई है।

- खीरी की तहसील मौहम्मदी के गॉव दिलावर नगर में 22 मई 2012 को आदिवासी–दलित महिलाओं पर हमला किया गया व इस गॉव में निर्मित पुरातन पूजा स्थल को वनविभाग द्वारा ध्वस्त किया गया। दोषीयों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई व वनाधिकार के तहत इनके दावों पर भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।
- बहराईच में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।
- जनपद गौंडा, खीरी, सहारनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज में बसे वनटॉगिया वनग्राम बस्तीयों को राजस्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है और गोरखपुर में जिन गॉवों को वनाधिकार कानून के तहत अधिकार पत्र दिए गए हैं उनपर भी हमला किया जा रहा है व वे जो मकान बना रहे हैं उनको वनविभाग ढहा रहा है।
- उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड, कैमूर क्षेत्र, शिवालिक में बसे नौ आदिवासियों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनपर आदिवासी समुदाय होने के बावजूद 75 वर्ष के प्रमाण की अनिवार्यता थोपी जा रही है व अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
- चित्रकूट मानिकपुर में बड़ी संख्या में दोहरे इन्द्राज के कारण वनविभाग व राजस्व विभाग में आपस में ही विवाद है, जिसके कारण वनाधिकार कानून के तहत समुदायों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया बाधित हो रही है।
- वनाधिकार कानून के तहत राज्य निगरानी समिति को बहाल करके सक्रिय किया जाए।
- उत्तरप्रदेश में लगातार बढ़ती रही महिला व बालिका हिंसा पर तुरन्त रोकथाम होनी चाहिए। यह हमले ज्यादहतर दलित, आदिवासी एवं ग़रीब तबकों की महिलओं के साथ हो रहे हैं।
- उत्तरप्रदेश में सरकार के सत्तासीन होने के नौ महीने के कार्यकाल में प्रदेश में आठ साम्प्रदायिक दंगें हो चुके है जिसमें सबसे भयानक दंगा फैज़ाबाद के भदरसा में हुआ है यह घटनाए देश की अंखड़ता व धर्मनिर्पेक्षता को तोड़ने की कोशिश है। इस तरह के तनाव को जल्द से जल्द खत्म कर प्रदेश में अमन और चैन स्थापित किया जाए। लघुवनोपज को लेने जंगल जाने वाले वनाश्रित समुदायों विशेषकर महिलाओं पर वनविभाग द्वारा की जाने वाली तमाम तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाईयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। वनाधिकार कानून में महिलाओं को दिए गए सामुदायिक वनसंसाधनों के अधिकार को वरीयता देते हुए जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए व सामुदायिक अधिकार के तहत वनग्रामों को राजस्व में तब्दील करने का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों में वनभूमि के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करके तेज़ी से पूरी की जाए।
- निरस्त किए गए दावा प्रपत्रों की जांच कराई जाए व नियम के विरुद्ध दावा प्रपत्रों को निरस्त करने वाले अधिकारियों की जांच करके उन्हें दंडित किया जाए।

***महिला वनाधिकार एक्शन कमेटी, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (NTUI), कैमूर क्षेत्र महिला मजदूर किसान संघर्ष समिति(कैमूरक्षेत्र उ0प्र0), तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच (तराईक्षेत्र उ0प्र0), थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच (दुधवा नेषनल पार्क व तराई क्षेत्र उ0प्र0), पाठा कोल दलित आदिवासी मंच (बुन्देलखण्ड उ0प्र0, म0प्र0), वनभूमि भू अधिकार मंच (उत्तराखण्ड), घाड़ क्षेत्र मज़दूर व महिला मोर्चा (राजाजी नेशनल पार्क व पश्चिमी उ0प्र0)***

**दिनांक 15 दिसम्बर 2012 को उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में आयोजित वनाधिकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया मांगपत्र**

**माननीय प्रधानमंत्री जी,**

महोदय हम सभी उ0प्र0 बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, के वनाश्रित समुदाय आदिवासी, दलित एवं अन्य परम्परागत समुदाय आज 15 दिसम्बर 2012 को लखनऊ के विधान सभा के सामने वनाधिकार कानून के इसी दिन संसद में पारित होने के अवसर पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार को वनाधिकार, महिला हिंसा के मामलों में रैली व आम सभा के माध्यम से निम्नलिखित मांगों पर ध्यान आर्कषित करना चाहते हैं –

**माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार**

- पूरे देश में वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक वनाधिकारों व सामुदायिक वनसंसाधनों के क्रियान्वन की प्रक्रिया की शुरूआत प्रभावी ढंग से नहीं हुई है इस प्रक्रिया को सरकारों को निर्देशित कर जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।
- वनाधिकार कानून में अन्य परम्परागत समुदाय के लिए 75 वर्ष के निवास प्रमाण का प्रावधान लगा कर वनाश्रित समुदाय को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है इससे से इलाके में जातिगत व साम्प्रदायिक तनाव फैलने की आंशका है।
- बिहार कैमूर जिला के अधौरा प्रखण्ड में सघन वनक्षेत्र होने के बावजूद यहां वनाधिकार कानून के क्रियान्वन की प्रक्रिया को वनविभाग, प्रशासन व स्थानीय दबंग समुदायों द्वारा बाधित किया जा रहा है। अभी तक बिहार में सरकार द्वारा वनाधिकार कानून की प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया गया है। अभी जनसंगठनों के माध्यम से कैमूर जिला में वनाधिकार समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है इस में भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है।
- म0प्र0 में आधी–अधूरी ज़मीनो के कुछ अधिकार पत्र बांट कर सरकार ने अपने काम की इतिश्री समझ ली है। वहां भी सामुदायिक वनाधिकारों एवं संसाधनों पर दावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
- झाड़खंड़ में लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है व देश के इतने बड़े वनक्षेत्र पर कम्पनियों को रियातें दे कर वनाधिकार कानून को बाधित किया जा रहा है।
- उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में बसे वनटॉगिया गॉव व वनगूजर बस्तियों में भी दावे किए हुए 3 वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी अभी दावों का निस्तारण नहीं किया गया है।
- सभी प्रदेशों में वनाधिकार कानून के तहत राज्य निगरानी समिति को बहाल करके सक्रिय किया जाए व केन्द्र स्तर पर ऐसी समिति बने जो इस कानून की निगरानी कर सकें जिसमें जनसंगठनों को भी शामिल किया जाए।
- लघुवनोपज को लेने जंगल जाने वाले वनाश्रित समुदायों विशेषकर महिलाओं पर वनविभाग द्वारा की जाने वाली तमाम तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाईयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। वनाधिकार कानून में महिलाओं को दिए गए सामुदायिक वनसंसाधनों के अधिकार को वरीयता देते हुए जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए व सामुदायिक अधिकार के तहत वनग्रामों को राजस्व में तब्दील करने का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों में वनभूमि के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ करके तेज़ी से पूरी की जाए।
- निरस्त किए गए दावा प्रपत्रों की जांच कराई जाए व नियम के विरुद्ध दावा प्रपत्रों को निरस्त करने वाले अधिकारियों की जांच करके उन्हें दंडित किया जाए।

***महिला वनाधिकार एक्शन कमेटी, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (NTUI), कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति(कैमूरक्षेत्र उ0प्र0), तराई क्षेत्र महिला मज़दूर किसान मंच (तराईक्षेत्र उ0प्र0), थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच (दुधवा नेषनल पार्क व तराई क्षेत्र उ0प्र0), पाठा कोल दलित आदिवासी मंच (बुन्देलखण्ड उ0प्र0, म0प्र0), वनभूमि श्रू अधिकार मंच (उत्तराखण्ड), घाड़ क्षेत्र मज़दूर व महिला मोर्चा (राजाजी नेशनल पार्क व पश्चिमी उ0प्र0)***